भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1161
उत्तर देने की तारीख- 23 मार्च, 2012

वाई-मैक्स अनुबंध प्रदान करने में अनियमितताएं

1161. श्रीमती माया सिंह :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वाई-मैक्स सेवाओं के अनुबंध में भारी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि बीएसएनएल वाई-मैक्स सेवाओं को शुरू करने में सक्षम था उसके बावजूद इन सेवाओं का अनुबंध प्रदान करने की प्रक्रिया में अनियमितता बरतते हुए कुछ मनचाही निजी कंपनियों को ठेका दे दिया गया जिससे करोड़ रूपयों का नुकसान हुआ ?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) से (ग) सीबीआई ने वर्ष 2009-10 में बीएसएनएल के लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (एलएसए) में वाई-मैक्स रोल आउट हेतु फ्रेन्चाइज़ी देने के मामले में दिनांक 23.02.2012 को एक मामला आरसीएसी/20/2 ए 003 दर्ज किया है। यह मामला जांच के प्रारंभिक चरण में है।